जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 13.02.2024***

आज दिनांक 13.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना बखिरा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता शफीक पुत्र अनवर अली निवासी पड़रिया थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 राधेश्याम वर्मा, का0 बलवन्त चौहान।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 2545 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बड़गो से इवेन्ट संख्या 11207 से कालर द्वारा सड़क मार्ग पर कार द्वारा टैम्पो में ठोकर लगने से 02 व्यक्तियों (**1- प्रसाद पुत्र कोमल निवासी अनई 2- नीलम पत्नी हरीराम निवासी माधोपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 सौरभ कुमार सिंह, म0आ0 नीतू गौड़, हो0चा0 सुनील पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 64 वाहनों से 64500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 64 वाहनों से 64500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 13.02.2024***

आज दिनांक 13.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आपरेशन तमंचा के अन्तर्गत 01 अदद अवैध कट्टा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे **आपरेशन तमंचा अभियान** के अन्तर्गत अवैध शस्त्र रखने के अनुक्रम में **प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध कट्टा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त नाम पता आदित्य यादव उर्फ अखिलेन्द्र पुत्र ज्ञानपति यादव निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को बन्धन मैरिज हाल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 77/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

आदित्य यादव उर्फ अखिलेन्द्र पुत्र ज्ञानपति यादव निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध कट्टा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 77/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

उ0नि0 श्री रामनक्षत्र भारती, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 गुड्डू यादव।

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 13.02.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 13.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना महुली*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 13.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 200 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.02.2024 को ***न्यायालय – सी0जे0(जे0डी0) एफ0टी0सी0 -1/जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/1997 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता राजाराम पुत्र गुरु प्रसाद निवासी सौरहा सिंहोरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 200 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।